हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019– 55399-405 शिमला–171009 दिनांक 27.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, हमीरपुर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला हमीरपुर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा(1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतू ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला हमीरपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला हमीरपुर को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला हमीरपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क्र0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड नादौन						
1	चोड़ू	1.ठारू	जीहण मुख्यावास बढ़ेहतर	1.ठारू	1.पुज्याल	
		2.चोआ		2.चोआ	2.अमलैहड़ू	

		3.जमनोटी		3.जमनोटी	3.बूसल	
		4.सानणी		4.सानणी	4.टिकरू बरोटा	
		5.बढ़ेहतर		5.बढ़ेहतर	5.दवकेहड़	
		6.जंगल		6.जंगल	6.गण्डियाणा	
		7.जीहण		7.जीहण	7.चोआ चुकराला	
		8.सलासी		8.सलासी	8.मतियाल	
		9.बूम्बलू		9.बूम्बलू	9.तरेटी	
		10.पुज्याल			10.बडियार	
		11.अमलैहड़ू				
		12.बूसल				
		13.टिकरू बरोटा				
		14.दवकेहड़				
		15.गण्डियाणा				
		16.चोआ चुकराला				
		17.मतियाल				
		18.तरेटी				
		19.बडियार				
विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा						
2	चबूतरा	1.मनिहाल	मनिहाल	1.मनिहाल	1.धारड़ू	
		2.बुग्धार		2.बुग्धार	2.सवाहल	
		3.बल्ह		3.बल्ह	3.गुजरेड़ा	
		4.पसतल		4.पसतल	4.ग्रौड्डु रनोता	
		5.ग्रौड्डुघूमन		5.ग्रौड्डु घूमन	5.चबूतरा खास	
		6.बनधार		6.बनधार		
		7.धारड़ू				
		8.सवाहल				
		9.गुजरेड़ा				
		10.ग्रौड्डु रनोता				
		11.चबूतरा खास				
	चारियां दी धार	1.भराईयां दी धार	पुर्ली	1.भराईयां दी धार	1.चारियां दी धार	
		2.जट्टां दी धार		2.जट्टां दी धार	2.रोपड़ी	
		3.चारियां दी धार		3.रांगड़ेयां दी धार	3.कुड्डुआं दी धार	ग्राम कुड्डुआं दी धार को ग्रा0पं0 जंदड़ू से अपवर्जित कर ग्राम सभा चारियों दी धार में सम्मिलित किया गया है।)
		4.रांगड़ेयां दी धार				
		5.पुर्ली		4.पुर्ली		
		6.लम्बरां दी धार		5.लम्बरां दी धार		
		7.रोपड़ी				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019–55399-405 शिमला–171009 दिनांक 27.8.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश/आपत्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक, (email) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट् पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक
पंचातयी राज विभाग
हिमाचल प्रदेश।